

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 () आयो/आकाशि/विविध/2019/1675

दिनांक 23 दिसम्बर 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- महाविद्यालय विकास समिति कोष एवं छात्रनिधि कोष में वित्तीय अनियमितताओं/त्रुटि की रोकथाम एवं सिस्टम सुधार करने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में निरीक्षण विभाग की जांच में महाविद्यालय विकास समिति कोष एवं छात्रनिधि कोष में नियमित रूप से प्रतिमाह अंक मिलान किया जाना अपेक्षित है। नियमित रूप से अंक मिलान नहीं होना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। अतः नियमित रूप से अंक मिलान करने के लिये निम्न दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें-

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, छात्रनिधि कोष एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष से किये जाने वाले आय-व्यय का प्रत्येक माह में अपने स्तर पर अंकमिलान किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता का समाधान समय पर हो सके।

2. प्राचार्य, छात्रनिधि कोष एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष के आय व्यय की सूचना मय व्यय विवरण की त्रैमासिक सूचना आयुक्तालय की स्प्रेडशीट MVS & Boys fund spreadsheet में निम्न प्रारूप (त्रैमासिक) में भरा जाना सुनिश्चित करें-

| क्र. स. | महाविद्यालय का नाम | त्रैमासिक माह (मार्च, जून, सितम्बर व दिसम्बर) | | | | | | | |
|---------|--------------------|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | पिछले त्रैमासिक माह की अंतिम दिनांक को उपलब्ध राशि | | इस माह की अंतिम दिनांक को शेष राशि | इस त्रैमासिक माह में किया गया व्यय | | व्यय विवरण (संक्षेप में) | | |
| | | छात्रनिधि कोष | विकास समिति कोष | छात्रनिधि कोष | विकास समिति कोष | छात्रनिधि कोष | विकास समिति कोष | छात्रनिधि कोष | विकास समिति कोष |

3. उक्त त्रैमासिक सूचना माह की अंतिम तारीख से अगले माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से भरा जाना सुनिश्चित करें।

4. महाविद्यालय विकास समिति कोष के लेखों की ऑडिटिंग प्रत्येक वर्ष करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4 () आयो/आकाशि/विविध/2019/1675

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

23/12/19
संयुक्त निदेशक (आयोजना)